

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 704/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड पता ग्यारवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला विजनेस पार्क
गणपत्रराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

मुकेश कुमार वर्मा पुत्र बसन्त राम

पता प्लॉट नम्बर 05/32, के.सी.सी. नगर, अजमेर रोड जयपुर

एवं कुन्डा, चतरा, झारखण्ड-825440

एवं एडेलको इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, जी-4, रॉयल प्लाजा, गुप्ता स्टोर के सामने, वैशाली नगर जयपुर

एवं रेजिडेन्शियल फ्लेट नम्बर, एस -1 सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर ए - 66, श्री सालासर रेसिडेन्सी -2,
रॉयल सिटी योजना, ब्लॉक ए, ग्राम मांचवा, कालवाड रोड, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.02.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार वर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति रेजिडेन्शियल फ्लेट नम्बर, एस -1 सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर ए - 66, श्री सालासर रेसिडेन्सी -2, रॉयल सिटी योजना, ब्लॉक ए, ग्राम मांचवा, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 816.56 वर्ग फीट बन्धक रख कर 16,17,514/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.02.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

५५

जिला मजिस्ट्रेट
(आदेश) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकारियों को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत सरतावेजों का परीक्षण अतलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अतलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 16.17.514/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वित्त समर्पित प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाला एनपीए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16.86.481/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।



The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार वर्मा के बन्धक सम्पत्ति रेजिडेंशियल प्लेट नम्बर, एस-1 सेकिण्ड फ्लोर, ब्लॉक ए, ग्राम मांचवा, कालवाड रोड, - 66, श्री सालासर रेसिडेन्सी-2, सेंयल सिटी योजना, ब्लॉक ए, ग्राम मांचवा, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 816.56 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जयपुर
मजिस्ट्रेट
(कालाक्टर)